राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःपीआरओ/डीएलबी/2018/3136 दिनांकः 19/4/2018

M/s N S Publicity India Pvt. Ltd.
7th Floor, C 23 A, Shakun Emporia,
Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur

विषयः– जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित यूनीपोल्स एवं साईनेज पर DAVP दरों पर स्वच्छ भारत मिशन के विज्ञापन प्रदर्शन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत DAVP द्वारा निर्धारित दरो पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित यूनीपोल्स एवं साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शन आमजन में जागरूकता पैदा करने एवं प्रचार–प्रसार के लिए कराया जाना है।

Directorate of Advertising & Visual Publicity (Ministry of Information & Broadcasting) New Delhi के पत्रांक F.No. (OP)/Airport/01/2018 दिनांक 02.02.2018 द्वारा जयपुर एयरपोर्ट पर स्थित यूनीपोल्स एवं साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु M/s N S Publicity India Pvt. Ltd. 7th Floor, C 23 A, Shakun Emporia, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

S.No.	Media	Location	Display Size (ft)	Quantity	Approved Rate*	Validity
1	Airport Signage	Jaipur Airport	8 X 4	20	Rs 2160/- per sqft per month	upto 30.06.2018
2	Airport Hoarding/ Unipoles		16 X 8	10	Rs 1841/- per sqft per month	

- GST extra, as applicable.

उपरोक्तानुसार DAVP में सूचीबद्ध आपकी फर्म द्वारा विभाग में प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 06.02.2018 को विभाग द्वारा 7 साईनेज एवं 2 यूनीपोल्स पर विज्ञापन दिये जाने को अनुमोदित कर दिया गया है। अतः संलग्न अनुमोदित डिजाईन एवं सूची के अनुसार DAVP दरों पर जयपुर इंटरनेशल एयरपोर्ट स्थित 7 साईनेज एवं 2 यूनीपोल्स पर दिनांक 24.02.2018 से 24.05.2018 तक तीन माह हेतु निम्न शर्तो के अध्यधीन 5 दिवस में कार्य सम्पादित कर विज्ञापन प्रदर्शित करें :–

1. DAVP द्वारा जारी पत्र क्रमांक F.No. (OP)/Airport/01/2018 Date 02.02.2018 में अंकित समस्त शर्तो की पालना करनी होगी।
2. फर्म द्वारा निर्धारित डिजाईन को बताये गये स्थल पर साईनेज एवं यूनीपोल्स पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार फ्लैक्स लगाना होगा।
3. फ्लैक्स पेस्टिंग/फिक्सिंग के कार्य में प्रिन्टिंग का कार्य स्पष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए एवं पेस्टिंग/फिक्सिंग में कोई सलवट इत्यादि नहीं होनी चाहिए।
4. साईनेज एवं यूनीपोल्स पर लगाये गये फ्लैक्स के भुगतान का बिल मय फोटोग्राफ, दिनांक एवं लोकेशन फर्म दस्तावेज सहित निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।

5. निदेशालय द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन किया जायेगा, जिसके सत्यापन उपरान्त भुगतान की अभिशंषा की जावेगी।
6. कार्य को निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा। कार्यादेश दिये जाने के तुरन्त पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
7. कार्य में देरी की स्थिति में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।
8. कार्य की मात्रा/अवधि नियमानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी। जिस हेतु निदेशक अधिकृत होंगे। उक्त कार्य के दौरान 3rd Party की Risk एंव Liability स्वयं फर्म की रहेगी।
9. RTPP Act 2012 /Rule 2013 में समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
10. विवाद की स्थिति में निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
11. न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एंव संयुक्त सचिव

क्रमांकःपीआरओ/डीएलबी/2018/ 3137-45 दिनांक : 12/2/2018

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त नगर निगम जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी
12/2